

कार्यालय उप निदेशक कृषि (वि०) जि०प० सीकर

क्रमांक:-लेखा/2017-18/

दिनांक:- 27.09.2017

सीमित बोली सूचना (बोली सं० 1/2017-18)

इस कार्यालय के अधीन मिट्टी प्ररीक्षण प्रयोगशाला में सॉयल हेल्थ कार्ड योजना के द्वितीय चरण के क्रियान्वयन हेतु, सॉयल परीक्षण के लिए नमूना कैंरी बैग, नमूना प्रपत्र, फार्म की व्यवस्था बाबत रूपये दो लाख से कम की सीमित बोली वर्ष 2017-18 में जब आवश्यकता हो के आधार पर सप्लाई करने हेतु अधिकृत इच्छुक विनिर्माता फर्मों/प्राधिकृत डीलरो एवं आपूर्तिकर्ता फर्मों से सीलबंद लिफाफे में सीमित बोली आमंत्रित की जाती हैं। बोली दिनांक 06.10.2018 को दोपहर 3.00 बजे तक प्राप्त की जाकर, उसी दिन अपराह्न 3.00 बजे बाद गठित उपापन कमेटी द्वारा उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष खोली जावेगी। उक्त बोली को <http://SPPP.Raj.gov.in> पोर्टल व कृषि विभागीय वेबसाइट <http://krishi.raj.gov.in> पर भी देखा जा सकता है।

उप निदेशक कृषि (विस्तार)
जि०प० सीकर
Phone-01572274912
Email ID -ddagr_sik@rediffmail.com

क्रमांक:- लेखा/2017-18/2538-43

दिनांक:-27.09.2017

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ :-

1. श्रीमान् संयुक्त निदेश कृषि (रसायन) कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान् सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर, कृषि आयुक्तालय, राजस्थान जयपुर को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर उक्त बोली अपलोड करावें।
3. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा/ Sppp.Raj.gov.in पर अपलोड हेतु।
4. श्री.....सदस्य उपापन कमेटी को भेजकर लेख है कि निर्धारित दिनांक को उपस्थित होकर उपापन कार्यवाही सम्पन्न करावें।

उप निदेशक कृषि (विस्तार)
जि०प० सीकर

कार्यालय उप निदेशक कृषि (वि०) जि०प० सीकर बोली प्रारूप

1	कार्यालय का नाम	उपनिदेशक कृषि (विस्तार) सीकर
2	बोली सूचना सं०	01 / 2017-18 क्रमांक..... दिनांक 27.09.2017
3	बोली प्राधिकारी	उपनिदेशक कृषि (विस्तार) सीकर
4	बोली प्राप्त करने की दिनांक व समय	06.10.2017 सायं 3.00 बजे तक
5	बोली खोलने की दिनांक व समय	06.10.2017 सायं 3.00 बजे बाद
6	बोलीदाता का विवरण	बोली दाता/प्राधिकृत व्यक्ति व फर्म का नाम पता दूरभाष नं०..... मो०.....
7	कार्य का विवरण	सॉयल हेल्थ कार्ड हेतु नमूना कैरी बैग, नमूना फार्म नमूना पर्ची इत्यादि की व्यवस्था हेतु।
8	अनुबंध अवधि	वर्ष 2017-18 में जब आवश्यकता होने के आधार पर
9	प्रस्तावित दर	संलग्न सूची के अनुसार

मैंने/हमने उपनिदेशक कृषि विस्तार सीकर द्वारा गठित उपापन समिति द्वारा जारी की गई, बोली की समस्त शर्तों को अच्छी तरह से समझ ली है, तथा मुझे/हमें बोली की समस्त शर्तें मंजूर हैं व उनके सभी पृष्ठों पर उल्लेखित शर्तों का मेरे/हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में मैंने/हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं। मैं/हम
.....घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिस कार्य के लिए बोली दी है, उसका मैं बौनाफाइड स्वामी/पंजिकृत फर्म का मालिक हूँ। यदि यह घोषणा असत्य पायी जावे तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है पर प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी प्रतिभूति/धरोहर राशि को पूर्ण रूप से जब्त कर लिया जावेगा तथा बोली को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जावेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

सॉयल हेल्थ कार्ड हेतु सप्लाई किये जाने वाले सामान के विवरण की सूची

क्र०सं०	आइटम	स्पेशिफिकेशन	अनुमानित सं०	प्रस्तावित दर
1	कैरी बैग फॉर सॉयल	क्लाथ बैग सूती कपडा 9X6 ईन्च Size 1 Kg. क्षमता	55000 नग
		नोन वोवन बैग फस्ट क्वालिटी 70 GSM 9X6 ईन्च Size 1 Kg. क्षमता	
		कट्टा जूट 50-60 Kg.क्षमता का फ्रेश क्वालिटी	250नग
		प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल 50-60 Kg.क्षमता का फ्रेश क्वालिटी	
4	नमूना प्रपत्र-2	3.5X5.3 ईन्च Size 220 GSM Green Colour Sheet	50000 नग
5	नमूना प्रपत्र-1 मय बाईडिंग 100 प्रपत्र पैकिट में	A4 Size 70 GSM	100 पैकिट
8	धागा गटा	250 Gram Packet	230 नग

बोलीदाता के हस्ताक्षर

बोली की शर्तें:-

1. बोलीदाता को बोली में प्रत्येक आइटम का पूर्ण स्पेशीफिकेशन यथा मैक/ग्रेड/निर्माता/Trade मार्क व साईज आदि का पूर्ण विवरण अंकित करना होगा तथा उसी के अनुरूप दरें प्रस्तावित करनी होंगी।
2. दरें FOR इस कार्यालय के स्टोर सीकर तक की समस्त करों सहित देनी होंगी, प्राप्त दरों के अलावा कोई भुगतान इस कार्यालय द्वारा नहीं किया जावेगा।
3. सामग्री की आपूर्ति आदेश प्राप्त के 15 दिवस में करनी होगी।
4. भुगतान सामग्री प्राप्त के बाद जांच व वेरिफिकेशन के उपरान्त किया जावेगा।
5. दरें वर्ष 31.03.2018 तक मान्य होंगी तथा इस अवधि को आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकेगा।
6. कूय किये जाने वाली सामग्री की मात्रा में आवश्यकतानुसार कमी व वृद्धि की जा सकेगी।
7. बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने व रद्द करने तथा बोली शर्तों में संशोधन का सम्पूर्ण अधिकार इस कार्यालय को होगा।
8. उपापन समिति किसी भी बोली को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की बोली नहीं है, स्वीकार करने, बिना कारण बताये किसी भी बोली को रद्द करने तथा जिन वस्तुओं के लिए बोलीदाता ने बोली दी है उन सब के लिये या किसी एक या अधिक के लिये बोली को स्वीकार करने या एक फर्म/सप्लायर से अधिक स्तर की मदों को वितरित करने का अधिकार अपने पास आरक्षित रखेगा।
9. बोली दाता को बोली सीलबंद लिफाफे में जिस पर " सॉयल हैल्थ कार्ड हेतु सामग्री हेतु सीमित बोली 2017-18" लिखा हुआ हो, प्रस्तुत करनी होगी।
10. अन्य शर्तों व स्पेशीफिकेशन की जानकारी इस कार्यालय से कार्य दिवस में कार्यालय समय में प्राप्त की जा सकती है।
11. अन्य शर्तें राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 तथा सामान्य वित्तिय एवं लेखा नियम के अनुसार मान्य होंगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर